श्री अभय कुमार सिंह, भा०प्र०से० जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा दिनांक 07.09.2013 को प्रखण्ड कार्यालय, नौतन का किए गए औचक निरीक्षण की टिप्पणी :–

दिनांक 07.09.2013 को 04.35 बजे अप0 प्रखण्ड कार्यालय, नौतन का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित तथ्य सामने आया :–

1. **उपस्थिति :–**

निरीक्षण के क्रम में श्री कुण्डल प्रसाद, कार्यालय परिचारी की उपस्थिति अंकित पायी गयी लेकिन वे अनधिकृत रुप से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित थे। पृच्छा किये जाने पर किसी भी कर्मी अथवा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। उनकी अनधिकृत अनुपस्थिति को अनधिकृत एवं कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही मानते हुए उन्हें निलम्बित किया जाता है। श्री गोविन्द कुमार वर्मा, कार्यपालक सहायक, प्रखण्ड कार्यालय दिनांक 04.09.2013 से 07.09.2013 तक बिना सूचना के अनुपस्थित पाये गये। उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर संविदा रद्द करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

अनुपालन :– जिला स्थापना उपसमाहर्ता, पश्चिम चम्पारण।

2. **प्रधान सहायक नोट बुक :–**

प्रखण्ड कार्यालय के प्रधान सहायक श्री हृदय नारायण दूबे द्वारा बताया गया कि प्रधान सहायक नोटबुक संधारित नहीं है जो कार्यो के प्रति इनकी शिथिलता को दर्शाता है। इस संबंध में प्रधान सहायक से स्पष्टीकरण की मांग की जाती है। 15 दिन के अंदर विहित प्रपत्र में नोटबुक संधारित कर अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे।

(अनुपालन :–प्रधान सहायक)

3. **सी.डब्लू. जे.सी. / एम.जे.सी. :–**

निरीक्षण के क्रम यह बताया गया कि कोई भी सी.डब्लू.जे.सी. / एम.जे.सी. वाद लम्बित नहीं है तथा एक एल.पी.ए. जो लम्बित था, अनुपालित हो चुका है।

4. **रोकड़ बही :–**

प्रखण्ड कार्यालय के रोकड़ बही का अवलोकन किया। दिनांक 30.08.2013 तक रोकड़बही संधारित पाया गया।

5. **इंदिरा आवास :–**

इंदिरा आवास प्रतिवेदन का अवलोकन किया। पश्चिम नौतन पंचायत में सामान्य श्रेणी के 19 के विरुद्ध 19, अनुसूचित जाति के 55 लक्ष्य के विरुद्ध 7 एवं अल्पसंख्यक का 22 लक्ष्य के विरुद्ध 21 लाभार्थियों के आवास की स्वीकृति दी गयी है।

6. **आर.टी.पी.एस. :–**

निरीक्षण के क्रम में आर0टी0पी0एस0 काउंटर से प्राप्त आवेदनों के विरूद्ध निष्पादित आवेदनों की सूची का अवलोकन किया गया। विभिन्न प्रकार की पेंशन से संबंधित 11 आवेदन निर्धारित समय अवधि बीत जाने के बावजूद लंबित दिखाया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर उपरोक्त के आलोक में संबंधित पदाधिकारी/कर्मी पर एक सप्ताह के अंदर वित्तीय दण्ड अधिरोपित कर अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे।

(अनुपालन :–अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया/प्रभारी पदा0, आर0टी0पी0एस0)

15/9

(अभय कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 1648/गो. दिनांक 16.09.2013

प्रतिलिपि : प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नौतन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी/वरीय प्रभारी, नौतन/प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा/जिला स्थापना उपसमाहर्ता/प्रभारी पदाधिकारी, आर0टी0पी0एस0 कोषांग/आई0टी0 मैनेजर, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/9

(अभय कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 1648/गो. दिनांक 16.09.2013

प्रतिलिपि : आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

15/9

(अभय कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।